

परियोजना का नाम :-जिला नैनीताल में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत लोहाली से थुआब्लाक सोटर मार्ग निर्माण किमी 0 9.900

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण—पत्र  
मानक शर्तें

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी नैथनिक विधि से कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्ण तरीके भौति रूप से आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रस्तुत भूमि का उपयोग केवल कार्यित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन सेतु कारबाही नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा टेक्नोलॉजी वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा नियमित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्याप से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुद्रारूप का रख-रखाय किया जायेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिक्रिया यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वचंद्र विवरण की व्यावस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचार्ह विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरीयों की एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये जिन वन विभाग को वापस हो जायेंगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः जिन किसी प्रतिकर भुगतान की वन विभाग की प्राप्त हो जायेगी।
11. गढ़क निर्माण के प्रस्तावों पर संखेण तथा कर्तव्यान्वयी तथा पर वन विभाग का परामर्श लेंगें। वन विभाग द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में सुख्ख असिफाना, लोगोंगिरियों को सम्बोधित पञ्च संख्या 608 नीं दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी लोगोंगिरियों द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अस्तर्गत वन मार्गों का सुदृढीकरण/चौड़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अभियान, 1980 के अस्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सीधीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का भूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निरस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य युक्तारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुनाने गैर वानिकी क्षेत्रकल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्याप्ति जो भी वन विभाग द्वारा तथा किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक डाल पर खड़े वृक्षों का पालन भी निश्चिद्ध है, इसी प्रकार बाँज के पेढ़ों पर पालन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पालन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेशन लाईन के कोरिडोर की नींवें यथासम्भव पेढ़ों का पालन नहीं किया जायेगा व पारेशन लाईन के खामों को लैंच कर अंडिल से अधिक संख्या में पेढ़ों की बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेढ़ों का पालन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेढ़ों की संख्या संयुक्त स्थाल निरीक्षण करके सम्बन्धित उपर वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उस कार्य को स्वयं के व्याप से करायेगा।
17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण सभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालग प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जाय हो अथवा साक्षम स्तर से आवश्यक प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य हैं।

*J.E.*

*b/w*  
A.E.  
हिंदू दर्शन निर्माण  
मोक्षोदय (नंगीवाल)

*अधिकारी खण्ड प्रतिवर्ती विवरण  
ज्योतीकरण दस्तावेज़*